

पर्यटन अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ (राज0)

अनवानी दौलतराम आदि संतो आदि

किस्म मुकदमा धारा 8(2) राज.उप.अधिनियम

मु.न. 177/2024

दुयम कार्यवाही विवरण

11.7.2025

पत्रावली आज पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री सुश्रीत सिंह व अप्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी जा चुकी है। दौरान बहस प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराते हुए कथन किया कि चक 3 एडव्यूएसए प.न. 126/335 मु.न. 17 कि.न. 21/1/025, 22/3/025, 23/1/025, 24/1/025, 25/1/026 में प्रत्येक बीघा में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते का राजस्व रिकार्ड में निरस्त करवाकर प्रार्थी सं. 1, 2 एवं अप्रार्थी सं. 1 के नाम ब.हि.ब. घोषणा व प.न. 127/335 मु.न. 16 कि.न. 21/1/0.025, 22/1/025, 23/1/025, 24/1/025 में प्रत्येक बीघे में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते को निरस्त करवाकर प्रार्थी सं. 3 व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के नाम ब.हि.ब. घोषणा व प.न. 127/335 मु.न 16 कि.न. 25/1/0.026 में दर्ज गैर मुमकिन रास्ते का रिकार्ड में निरस्त करवाकर प्रार्थी सं. 3 के नाम घोषणा करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ता को मुमकिन कर प्रार्थीगण को खातेदारी प्रदान की जावे। उक्त रास्ता कभी नहीं चला है तथा उक्त रास्ते की कभी आवश्यकता भी नहीं रही है। राज पैरोकार द्वारा दौरान बहस प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए भविष्य में रास्ते की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना खारिज करने हेतु निवेदन किया।

समायत बहस का मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायिक दृष्टान्त माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के क्रम सं. 1 रुपनारायण के विधिक प्रतिनिधि बनाम राज्य 1992 आर.आर.डी 496, क्रम सं. 2 शंकरसिंह बनाम गोगीदेवी आर.बी.जे (20) 2013 पेज 309, क्रम सं. 3 रमेश चंद बनाम मोहरसिंह आर.आर.टी. 2018(1) पेज 592 का न्यायिक मस्तिक से अध्ययन किया व बाद अध्ययन पाया कि शर्त संख्या 8 (2) 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी रास्ता स्वीकृत कर सकता है, परन्तु गैर मुमकिन रास्ता को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 88 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार सड़क तथा समस्त भूमि जो अन्य किसी की सम्पत्ति नहीं है वह राज्य सरकार की सम्पत्ति है। प्रश्नगत रास्ता राज्य सरकार का है। इसको निरस्त करवाने का अधिकार वादी/प्रार्थी को नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 (6) के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसानों को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। गैर मुमकिन रास्ता सामान्यजन उपयोग तथा उपभोग हेतु राज्य सरकार की सम्पत्ति है। जिसकी मालिक राज्य सरकार है जिसमें सार्वजनिक उपयोग एवं उपभोग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा अथवा अड़थक पैदा नहीं की जा सकती है।

अतः उक्त न्यायाधिक दृष्टान्तों की अनुसरण में वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं होने व क्षेत्राधिकार में नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/07/2025  
सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी  
हनुमानगढ़